संशोधन

संख्या- 77 /2024 / 537 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2024**

विषय- संस्कृति निदेशालय के मूर्ति निर्माण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 18 जनवरी 2024 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 41 /2024 / 7518 /चार-2023 दिनांक 18 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 41 /2024 / 7518 /चार-2023 दिनांक 18 जनवरी, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 41 /2024 / 7518 /चार-2023 दिनांक 18 जनवरी, 2024 के प्रस्तर-1 में उप प्रस्तर- (8) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(8) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 41 /2024 / 7518 /चार-2023 दिनांक 18 जनवरी, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 77 /2024 / 537(1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in